न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

सामक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 4500--तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 02--03--12 पारित अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर प्रकरण कमांक 108/11--12 अपील.

जयकुंवरबाई पुत्री ऊधमसिंह पत्नि लक्ष्मणसिंह
निवासी भैसरवास, तह0 ईसागढ़,
जिला अशोकनगर, म0प्र0 ---- आवेदक

विरूध्द

1-- कैलाश पुत्र कम्मोदा जाति जाटव
2-- विक्रमसिंह पुत्र कम्मोदा जाति जाटव
दोनों निवासी बहेरिया उर्फ रूपनगर, तह0 ईसागढ़,
जिला अशोकनगर, म0प्र0 ---- अनावेदकगण
3-- राकेश पुत्र देवीसिंह जाटव
4-- मेहरवान पुत्र रामचरण जाटव
5-- जसवंत पुत्र रामचरण जाटव
6-- प्रकाश पुत्र अनुद्धा जाटव
7-- रमेश पुत्र अनुद्धा जाटव
8-- कल्ला पुत्र मुतिया बसोर
9-- बच्चू पुत्र मुतिया बसोर
क0 3 से 9 निवासी ग्राम माधोपुर, तह0 ईसागढ़
जिला अशोकनगर, म0प्र0 ---- तरतीदा अनावेदकगण

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के अपील प्रकरण कमांक 108/11-12 में पारित आदेश दिनांक 02-03-12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माधोपुर की कुल किता 13 कुल रकबा 9.882 हे0 भूमि का बंटन तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 11–5–02 व्दारा अनावेदकगण के पक्ष में किया । इस आदेश के विरूध्द आवेदक जयकुंवर ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की और विलम्ब को माफ करने हेतु अवधि विधान की धारा 5–12 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 13–01–12 व्दारा अपील जानकारी के दिनांक से समयावधि में मान्य की और अवधि विधान की धारा 5–12 का आवेदन स्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मे अनावेदक क0–1 एवं 2 को ग्राम माधोपुर के सर्वे क0 203 एवं 206 के बंटन को चुनौती दी गयी और यह आपत्ति प्रस्तुत की कि अनावेदकगण ग्राम माधोपुर के निवासी नहीं है, अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, उनके व्दारा भूमि विक्रयकर पुनः भूमिहीन बनकर पट्टे प्राप्त किये गये है तथा इश्तहार का प्रकाशन भी विधिवत नहीं किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02–03–12 द्वारा अपील खारिज की और यह निष्कर्ष निकाला है कि भूमि के बंटन की पात्रता केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को है, इस कारण आवेदक का कब्जा होने से वह हितबध्द पक्षकार नहीं है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदक के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। अनावेदक क0–1 एव 2 की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिये उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नियमानुसार 0.500 हे0 से कम रकबे का बंटन नहीं किया जा सकता था किन्तु सर्वे न0 203 का रकबा 0.105 होने पर भी उसका बंटन किया गया है जो नियम विरूध्द है। अनावेदक क0 1 एवं 2 ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर मे निवास करते है और उन्होंने ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर में उसी वर्ष कुटीर शासन से ली थी और वही के स्थायी निवासी मतदाता सूची व राशनकार्ड में थे।

इस संबध में उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक क0--1 एवं 2 ने भूमि विकय की है, इसलिये उन्हें बंटन नहीं किया जाना चाहिये था। उनका तर्क है कि आवेदिका पिछड़ा वर्ग की महिला है और प्रश्नाधीन भूमि पर उसके व्दारा खेती कर अपना भरण पोषण किया जाता है। अतः आवेदक अभिभाषक व्दारा निगरानी स्वीकार कर अनावेदक क0--1 एवं 2 के बंटन को निरस्त करने का अनुरोध किया।

5/ आवेदक व्दारा निगरानी आवेदन के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया है जिसमें विलम्ब का कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूध्द समयावधि में अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु सुनवायी के दौरान अपर आयुक्त व्दारा अधिकार नहीं होना बतलाये जाने पर अपील/निगरानी वापिस किये जाने का निवेदन किया गया जिसका निराकरण अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 18--09--13 को किया। अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी 09--12--13 को हुई। अतः उन्होंने विलम्ब माफ करने का अनुरोध किया है।

6/ आवेदक व्दारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18 09--13 की प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानी आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत की है जिस पर लगी सील से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक को 17--12--13 को प्राप्त हुई है। अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रचलन के दौरान समय व्यतीत हुआ है जिसे असदभाविक या आवेदक की लापरवाही नहीं माना जा सकता, इस कारण न्यायहित में विलम्ब क्षमा किया जाता है।

7/ आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कार्यालय विकास खण्ड ईसागढ़ जिला गुना के अनुबन्धपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि अनावेदक विकम पुत्र कम्मोदा जाति हरिजन निवासी बहेरिया का होने से ग्रामीण अवास कुटीर के तहत रू. 20000/ का अनुदान 2002 में स्वीकृत किया गया है, जबकि इस प्रकरण में अनावेदक क0--1 एवं 2 को ग्राम माधोपुर का निवासी होने के आधार पर भूमि का बंटन किया गया है। पंचनामा रिपोर्ट में अनावेदक क0 1 एवं 2 के भाई नत्थू पुत्र कम्मोदा के नाम कुल किता 2 कुल रकबा 1.355 है0 भूमि होना दर्शाया गया है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पंजीयत

विक्रयपत्र की प्रति से स्पष्ट है कि नत्थू, कैलाश, विक्रम पुत्रगण कम्मोदा आदि व्दारा कुल किता 3 कुल रकबा 1.238 हे0 का विक्रय वीरसिंह पुत्र सूरतसिंह यादव निवासी ग्रम भैंसरवास परगना ईसागढ़ को किया गया है। इसरो स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा अनावेदक क0–1 एवं 2 को भूमि बंटन के पूर्व पात्रता के संबंध में विधिवत जॉच नहीं की गयी। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वे नं0 203 का रकबा 0.105 तथा सर्वे नं0 206 का रकबा 0.460 है जो 0.500 से कम होने से स्वतंत्र बंटन योग्य नियमानुसार नहीं थी जिसे किसा आधार पर वंटित किया गया. इस संबंध में कोई उल्लेख तहसीलदार के आदेश में नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवेदक का कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर होना मान्य किया है. इस कारण उसे हितग्राही पक्षकार नहीं मानना न्यायोचित नहीं है। आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा किस हैसियत से हैं. इस संबंध में उसे सुनवायी का अवसर प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त के अनुसार भी दिया जाना चाहिये था, जो प्रदान नहीं किया गया है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 02–03–12 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–05–02 जिसमें उन्होनें अनावेदक क0–1 कैलाश एवं अनावेदक क0–2 विक्रम पुत्रगण कम्मोदा को सर्व क0 203 एवं 206 का बंटन किया है, को निरस्त किया जाता है और तदनुसार तहसीलदार का आदेश संशोधित किया जाता है तथा तहसीलदार तहसील ईशागढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्राम माधापुर की भूमि सर्वे क 203, 206 को राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज करें ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0
ग्वालियर,